

ई फाइल संख्या 166519
हिमाचल प्रदेश वन विभाग
पार्वती वन मण्डल शमशी

प्रेषक: उप अरण्यपाल पार्वती।

प्रेषित: अरण्यपाल कुल्लू।

विषय: Diversion of 1.6201 ha of Forest land in favour of M/s Dinesh Butail Complex Bandla Tea Estate Palampur for the construction of Grahan Kasol Hydro Power SHEP (5.00MW) within the jurisdiction of Parvati Forest Division, Distt. Kullu HP.

संदर्भ: उप कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय चण्डीगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार कार्यालय के ई-ऑफिस पत्र संख्या आई/94613/2025 दिनांक 22.01.2025।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भ में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त सैधांतिक स्वीकृति की अनुपालना निम्न प्रकार से प्रस्तुत की जाती है:-

क्रम संख्या	सैधांतिक स्वीकृति की शर्तें।	सैधांतिक स्वीकृति की अनुपालना
1(i)CA	प्रयोक्ता एजेंसी से CA स्कीम के अनुसार प्रतिपूर्ति पौधरोपण की राशि जमा करवाई जाए।	प्रयोक्ता एजेंसी ने CA स्कीम के अनुसार प्रतिपूर्ति पौधरोपण की राशि जमा कर दी है। चालान की प्रतियां शपथ पत्र के साथ संलग्न है।
(ii)	राज्य सरकार माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा WP(C) No. 202/1995 के अंतर्गत दिनांक 08.02.2023 को जारी आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करेगी।	राज्य सरकार माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा WP(C) No. 202/1995 के अंतर्गत दिनांक 08.02.2023 को जारी आदेशों की अनुपालना करने बारे शपथ पत्र संलग्न है।
(iii)	WP(C) No. 202/1995, IA No. 566 में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 30.10.2002, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली के निर्देश संख्या 5-3/2011-FC (vol.-I) दिनांक 06.01.2022 के अनुसार प्रयोक्ता एजेंसी से प्रस्तावित वन भूमि 1.6201 हेक्टेयर की नैट प्रेजेंट वैल्यू जमा करवाई जाये।	प्रयोक्ता एजेंसी ने प्रस्तावित वन भूमि 1.6201 हेक्टेयर की नैट प्रेजेंट वैल्यू जमा कर दी है। चालान की प्रतियां शपथ पत्र के साथ संलग्न है।
(iv)	प्रयोक्ता एजेंसी सभी भुगतान राशि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की बेवसाइट www.parivesh.nic.in पर केवल ऑनलाइन माध्यम से CAMPA Fund में जमा करवाएगी।	प्रयोक्ता एजेंसी सभी भुगतान राशि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की बेवसाइट www.parivesh.nic.in पर केवल ऑनलाइन माध्यम से CAMPA Fund में जमा कर दी है।
(v)	पूर्ण अनुपालना रिपोर्ट e-portal (https://parivesh.nic.in/) में अपलोड की जाएगी।	पूर्ण अनुपालना रिपोर्ट e-portal (https://parivesh.nic.in/) में अपलोड कर दी है।
(vi)	प्रयोक्ता एजेंसी को यह सुनिश्चित करना है कि प्रतिपूरक शुल्क (सीए लागत, एन पी वी आदि)	प्रयोक्ता एजेंसी ने प्रतिपूरक शुल्क (सीए लागत, एन पी वी आदि) वेब पोर्टल पर ऑनलाइन

	वेब पोर्टल पर ऑनलाइन उत्पन्न चालान के माध्यम से जमा किए जाते हैं और केवल उपयुक्त बैंक में जमा किए जाते हैं। अन्य माध्यम से जमा की गई राशि को Stage-I Clearance के अनुपालना के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा।	उत्पन्न चालान के माध्यम से जमा किए जाते हैं और केवल उपयुक्त बैंक में जमा कर दिए हैं।
(vii)	प्रयोक्ता एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि संभाग में कोई अन्य प्रस्ताव, जिसके लिए Stage-I पहले ही स्वीकृत किया जा चुका है, Stage-I अनुमोदन की शर्तों के अनुपालन के लिए अभी भी लंबित नहीं है। इस आशय का एक वचन पत्र कि "इस मंडल के पास Stage-I अनुमोदन की शर्तों के अनुपालना के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है।" प्रस्तुत किया जाए। इस कार्यालय द्वारा इस प्रस्ताव की अंतिम मंजूरी के लिए उसका अनुपालन अनिवार्य होगा।	प्रयोक्ता एजेंसी ने यह शपथ पत्र दिया है संभाग में कोई अन्य प्रस्ताव, जिसके लिए Stage-I पहले ही स्वीकृत किया जा चुका है, Stage-I अनुमोदन की शर्तों के अनुपालन के लिए अभी भी लंबित नहीं है। इस आशय का एक वचन पत्र कि "इस मंडल के पास Stage-I अनुमोदन की शर्तों के अनुपालना के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है।" प्रस्तुत है।
(viii)	No Objection Certificate from the competent authority with reference to the CIA/CCS studies (Impact Assessment) of River Beas and its recommendations shall be obtained by State Government along with any other environment related compliance/ clearance..	Undertaking by U/S regarding No Objection Certificate from the competent authority with reference to the CIA/CCS studies (Impact Assessment) of River Beas and its recommendations shall be obtained by State Government along with any other environment related compliance/ clearance is enclosed.
(ix)	The State Government shall ensure that the proposed SHEP Unit is within the stipulated capacity recommended in the CIA/CCS study.	Undertaking regarding The State Government shall ensure that the proposed SHEP Unit is within the stipulated capacity recommended in the CIA/CCS study is enclosed.
(x)	FRA 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बंधित जिला कलेक्टर द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के द्वारा किया जाएगा।	FRA 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बंधित जिला कलेक्टर द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के द्वारा किया जाने बारे शपथ पत्र संलग्न है।

(B) वे शर्तें जिनका राज्य वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता एजेंसी को वन भूमि सौंपने के बाद फील्ड में कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता है, परन्तु अंडर टेकिंग के रूप में अनुपालन स्टेज-II अनुमोदन से पहले प्रस्तुत किया जाना है:

क्रम संख्या	सैधांतिक स्वीकृति की शर्तें।	सैधांतिक स्वीकृति की अनुपालना
i	वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी।	वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी बारे शपथ पत्र संलग्न है।
ii	काटे जाने वाले बाधक वृक्षों / पौधों की संख्या किसी भी रूप में प्रस्ताव में दर्शायी गई संख्या से अधिक नहीं होगी और वृक्षों की कटाई के दौरान वन्य जीवों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा।	काटे जाने वाले बाधक वृक्षों / पौधों की संख्या किसी भी रूप में प्रस्ताव में दर्शायी गई संख्या से अधिक नहीं होगी और वृक्षों की कटाई के दौरान वन्य जीवों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा बारे शपथ पत्र संलग्न है।
iii	राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित सी0ए0 योजना के अनुसार 3.25 है0 के पौधरोपण का कार्य,	राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित सी0ए0 योजना के अनुसार 3.25 है0 के पौधरोपण का कार्य,

	Block/Compartment/ Survey No. 53/E/5 of Komigaar, Grahan Beat, Village /Site-Kasol, Kasol Forest Range, Parvati Forest Division, Distt. Kullu Himachal Pradesh पर सी0ए0 किया जाएगा और धन उपयोग कर्ता एजेंसी द्वारा प्रदान किया जाएगा। अनुमोदन जारी होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर वृक्षारोपण किया जाएगा। यथासंभव, स्थानीय देशी प्रजाति मिश्रित रूप से रोपित किये जायें एवं किसी भी प्रजाति का monoculture नहीं किया जाएगा।	Block/Compartment/ Survey No. 53/E/5 of Komigaar, Grahan Beat, Village /Site-Kasol, Kasol Forest Range, Parvati Forest Division, Distt. Kullu Himachal Pradesh पर सी0ए0 किया जाएगा और धन उपयोग कर्ता एजेंसी द्वारा प्रदान किया जाएगा। अनुमोदन जारी होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर वृक्षारोपण किया जाएगा। यथासंभव, स्थानीय देशी प्रजाति मिश्रित रूप से रोपित किये जायें एवं किसी भी प्रजाति का monoculture नहीं किया जाएगा बारे शपथ पत्र संलग्न है।
iv	प्रस्तावित CA Land, यदि राज्य वन विभाग के नाम है तो उससे सम्बन्धित दस्तावेज, अन्यथा, IFA 1927 के अंतर्गत, RF/PF में अधिसूचित करा कर, ततसंबंधित दस्तावेज, विधिवत स्वीकृति के पहले प्रस्तुत किया जाएगा।	प्रस्तावित CA Land, राज्य वन विभाग के नाम है जो इस वन मण्डल के Approved Working Plan के अनुसार के Deo Kail working Circle अंतर्गत आता है। Working Plan की सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न है।
v	राज्य सरकार वन भूमि को प्रयोक्ता एजेंसी को सौंपने से पहले FSI के ई-ग्रीन वॉच पोर्टल में प्रतिपूरक वन रोपण के लिए स्वीकृत degraded वन क्षेत्र की Kml files को अपलोड करेगी।	राज्य सरकार वन भूमि को प्रयोक्ता एजेंसी को सौंपने से पहले FSI के ई-ग्रीन वॉच पोर्टल में प्रतिपूरक वन रोपण के लिए स्वीकृत degraded वन क्षेत्र की Kml files को अपलोड करने बारे शपथ पत्र संलग्न है।
vi	वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा।	वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा बारे शपथ पत्र संलग्न है।
Vii	माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार, जब कभी भी NPV की राशि बढ़ाई जाएगी तो उस बढी हुई NPV की राशि को जमा करने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी बाध्य होगी और राज्य सरकार बढी हुई NPV राशि जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।	माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार, जब कभी भी NPV की राशि बढ़ाई जाएगी तो उस बढी हुई NPV की राशि को जमा करने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी बाध्य होगी और राज्य सरकार बढी हुई NPV राशि जमा कराना सुनिश्चित करने बारे शपथ पत्र संलग्न है।
viii	Wild life management Plan along with detail cost of its implementation into the account of CAMPA is required to be submitted along with Stage-I compliance. However, in cases where it is not possible for the State Govt. to submit the compliance due to delay in preparation of such plan, a lump sum amount of 2% of the project cost shall be realized from the User Agency and submitted along with the Stage-I compliance. The deficit amount, as per said Plan, if any, from the money already realized to the tune of 2% of project cost shall be deposited in the CAMPA account and same may be intimated to the MoEF&CC for the purpose of obtaining approval under the para-1.22(ii) if the Van	Wild life management Plan has already been submitted to GoI before Stage-I approval and same has been approved by competent authority. Accordingly User Agency has remitted the amount of Wild Life Management Plan to the tune of Rs. 65,65000/- in to State CAMPA Account. Copy of Challan is enclosed with Undertaking.

	(Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980.	
ix	एवेन्यू वृक्षारोपण, सडक के दोनों और मध्य भाग पर आई आर सी विनिर्देश के अनुसार उपयोग कर्ता एजेंसी, द्वारा किया जाएगा।	एवेन्यू वृक्षारोपण, सडक के दोनों और मध्य भाग पर आई आर सी विनिर्देश के अनुसार उपयोग कर्ता एजेंसी, द्वारा किया जाएगा इस बारे शपथ पत्र संलग्न है।
x	स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेन्सी, विभागीय व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं किया जाएगा।	स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेन्सी, विभागीय व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं किया जाएगा इस बारे शपथ पत्र संलग्न है।
xi	केंद्रीय सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव की ले-आउट प्लान को बदला नहीं जाएगा।	केंद्रीय सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव की ले-आउट प्लान को बदला नहीं जाएगा इस बारे शपथ पत्र संलग्न है।
xii	वन भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई श्रामिक शिविर नहीं लगाया जायेगा।	वन भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई श्रामिक शिविर नहीं लगाया जायेगा इस बारे शपथ पत्र संलग्न है।
xiii	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वांछित भूमि संरक्षण पैमाने उपयोग किए जायेगें, जिसके लिए प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वर्तमान दरों पर धन राशि उपलब्ध करायी जाएगी।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वांछित भूमि संरक्षण पैमाने उपयोग किए जायेगें, जिसके लिए प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वर्तमान दरों पर धन राशि उपलब्ध करायी जाएगी इस बारे शपथ पत्र संलग्न है।
xiv	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया पथ नहीं बनाया जाएगा।	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया पथ नहीं बनाया जाएगा बारे शपथ पत्र संलग्न है।
xv	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा श्रमिकों तथा कार्य स्थल पर कार्यरत स्टाफ को अधिमानतः वैकल्पिक ईंधन उपलब्ध कराएगी, ताकि साथ लगते वन क्षेत्र को किसी प्रकार के नुकसान तथा दबाव से बचाया जा सके।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा श्रमिकों तथा कार्य स्थल पर कार्यरत स्टाफ को अधिमानतः वैकल्पिक ईंधन उपलब्ध कराएगी, ताकि साथ लगते वन क्षेत्र को किसी प्रकार के नुकसान तथा दबाव से बचाया जा सके बारे शपथ पत्र संलग्न है।
xvi	प्रयोक्ता एजेंसी राज्य कि मुख्य वन्य जीव संरक्षक द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार उस क्षेत्र के वनस्पति और प्राणी समूह के संरक्षण तथा परिरक्षण में राज्य सरकार की सहायता करेगी।	प्रयोक्ता एजेंसी राज्य कि मुख्य वन्य जीव संरक्षक द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार उस क्षेत्र के वनस्पति और प्राणी समूह के संरक्षण तथा परिरक्षण में राज्य सरकार की सहायता करेगी इस बारे शपथ पत्र संलग्न है।
xvii	स्थान्तरित वन भूमि की सीमाएं आगे तथा पीछे लिखे गये कम संख्या वाले चार फीट ऊंचे सीमेंट के खम्भों द्वारा चिन्हित की जाएगी।	स्थान्तरित वन भूमि की सीमाएं आगे तथा पीछे लिखे गये कम संख्या वाले चार फीट ऊंचे सीमेंट के खम्भों द्वारा चिन्हित की जाएगी बारे शपथ पत्र संलग्न है।
xviii	प्रयोक्ता एजेंसी CWLW /NBWL/FAC/REC की सिफारिशों के अनुसार संरक्षित क्षेत्र/ वन क्षेत्र में उपयुक्त under/ over pass उपलब्ध करायेगी।	प्रयोक्ता एजेंसी CWLW /NBWL/FAC/REC की सिफारिशों के अनुसार संरक्षित क्षेत्र/ वन क्षेत्र में उपयुक्त under/ over pass उपलब्ध करायेगी इस बारे शपथ पत्र संलग्न है।
xix	यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता एजेंसी पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, के अनुसार पर्यावरण अनुमति प्राप्त करेगी।	यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता एजेंसी पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, के अनुसार पर्यावरण अनुमति प्राप्त करेगी शपथ पत्र संलग्न है।

xx	The State Govt/ User Agency shall ensure adherence to stipulated e-flow as recommended by Govt. of HP, Hon'ble NGT, MoEF& CC, GoI and any other regulatory authority for the conservation and development of the aquatic flora and fauna.	Undertaking enclosed regarding The State Govt/ User Agency shall ensure adherence to stipulated e-flow as recommended by Govt. of HP, Hon'ble NGT, MoEF& CC, GoI and any other regulatory authority for the conservation and development of the aquatic flora and fauna.
xxi	Any other condition, that the concerned Regional Office of the Ministry may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of Forest and Wild Life and User Agency/State Govt. may ensure compliance to provision of all Acts, Rules, regulation and guidelines, for the time being in force, as applicable to the project.	Undertaking enclosed regarding Any other condition, that the concerned Regional Office of the Ministry may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of Forest and Wild Life and User Agency/State Govt. may ensure compliance to provision of all Acts, Rules, regulation and guidelines, for the time being in force, as applicable to the project.
xxii	State Govt. shall ensure that the User Agency shall comply the provisions of all Rules, Regulations and guidelines issued for lying transmission line in Forest Areas for the time being in force, as applicable to the project.	Undertaking enclosed regarding State Govt. shall ensure that the User Agency shall comply the provisions of all Rules, Regulations and guidelines issued for lying transmission line in Forest Areas for the time being in force, as applicable to the project.
xxiii	The User Agency shall submit the annual self-compliance report in respect of the above condition to the State Govt. and to the Concerned Regional Office of the Ministry, regularly.	The User Agency shall submit the annual self-compliance report in respect of the above condition to the State Govt. and to the Concerned Regional Office of the Ministry, regularly.
xxiv	परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलबे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा केवल परियोजना स्थल पर ही किया जाएगा तथा इसके अलावा अन्यत्र मलबा नहीं फेंका जाएगा। मलबा निस्तारण क्षेत्र स्थल पर दर्शाए गए वृक्षों का पतन नहीं किया जाएगा।	परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलबे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा केवल परियोजना स्थल पर ही किया जाएगा तथा इसके अलावा अन्यत्र मलबा नहीं फेंका जाएगा। मलबा निस्तारण क्षेत्र स्थल पर दर्शाए गए वृक्षों का पतन नहीं किया जाएगा इस बारे शपथ पत्र संलग्न है।
xxv	इस प्रस्ताव को 99 वर्षों के लिए अनुमति प्रदान की जाएगी, इस के उपरान्त पुनः यह अनुमति भारत सरकार से प्राप्त करनी होगी। इस अनुमोदन के तहत diversion की अवधि प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में दी जाने वाली लीज की अवधि या परियोजना की अवधि, जो भी कम हो, के सह –समाप्ति होगी।	इस प्रस्ताव को 99 वर्षों के लिए अनुमति प्रदान की जाएगी, इस के उपरान्त पुनः यह अनुमति भारत सरकार से प्राप्त करनी होगी। इस अनुमोदन के तहत diversion की अवधि प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में दी जाने वाली लीज की अवधि या परियोजना की अवधि, जो भी कम हो, के सह –समाप्ति होगी इस बारे शपथ पत्र संलग्न है।
xxvi	अन्य कोई भी शर्त इस कार्यालय द्वारा वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास हेतु समय समय पर लगाई जा सकती है।	अन्य कोई भी शर्त उच्च कार्यालय द्वारा वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास हेतु समय समय पर लगाई जा सकती है की अनुपालना बारे शपथ पत्र संलग्न है।

xxvii	यदि कोई अन्य संबन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/ न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके आधीन अनुमति लेना राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी।	यदि कोई अन्य संबन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/ नियम/ न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके आधीन अनुमति लेना राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी शपथ पत्र संलग्न है।
xxviii	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम 1980 का उल्लंघन होगा तथा पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा वन संरक्षण एवं संवर्धन नियम 1980 और वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम 2023 के बारे में जारी consolidated guidelines में उल्लेखित दिशा निर्देश 1.16 के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम 1980 का उल्लंघन होगा तथा पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा वन संरक्षण एवं संवर्धन नियम 1980 और वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम 2023 के बारे में जारी consolidated guidelines में उल्लेखित दिशा निर्देश 1.16 के अनुसार कार्यवाही की जाएगी इस की अनुपालना बारे शपथ पत्र संलग्न है।

3. उपरोक्त पैरा-2 के आधीन शर्तों की अनुपालना रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त, वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम, 1980 की धारा-2 के आधीन अन्तिम स्वीकृति के लिए प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। केन्द्रीय सरकार की अंतिम अनुमति दिए जाने तक वन भूमि का उपयोग नहीं किया जाएगा। – उपरोक्त सभी शर्तों की अनुपालना पूर्ण रूप से की जाएगी।

उप अरण्यपाल,
पार्वती वन मण्डल शमशी।

Copy is forwarded to:

1. RO Kasol for information and further necessary action. He is directed to ensure that no work on Forest land be allowed till final approval.
2. Divisional Accountant for along with Treasury Challan HIMGRN No.B25E100341 dated 01-05-2025 for **Rs. 5317138/-** for information and adjustment into the account/ books.
3. M/s Dinesh Butail Complex, Bandla Tea Estate Palampur for information and further necessary action.

Sd/-
Deputy Conservator of Forests,
Parvati Forest Division at Shamshi.

Proposal Name: Diversion of 1.6201ha Forest land for c/o Grahan-Kasol SHEP 5.00MW
Proposal No.: FP/HP/HYD/36856/2018

Annexure-A (i)

“UNDERTAKING”

मैं जितेन्द्र ठाकुर, प्रयोक्ता एजेंसी की तरफ से यह शपथ प्रस्तुत करता हूँ कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा CA स्कीम के अनुसार प्रतिपूर्ति पौधरोपण की राशि रू0 10,26,802/- कैम्पा फण्ड में युनियन बैंक में दिनांक 25.03.2025 को जमा की गई है। इसके अतिरिक्त कैम्पा अकाउंट में Reclamation Plan की राशि रू0 8,53,347/-, नैट प्रेजेंट वैल्यू की राशि रू0 17,32,541/- तथा Wild Life Management Plan की राशि रू0 65,65,000/- कुल राशि रू0 1,01,77,690/- कैम्पा अकाउंट में **vide Reference No. A979060 dated 27-03-2025** द्वारा जमा की गई है। चालान की प्रति संलग्न है

इस के अतिरिक्त पेड़ों की कीमत रू0 50,03,782/- तथा departmental charges on CA (Rs. 1,71,134) and R/Plan (Rs.1,42,224) की कुल राशि रू0 53,17,138/-सरकारी खजाने में जमा कर दी गई है चालान की प्रति संलग्न है। पेड़ों की कीमत पर लगने वाले आयकर जोकि रू0 1,28,848/- है, भी जमा कर दी है, चालान की प्रति संलग्न है।

Signatory Authority
For Grahan-Kasol SHEP

Deputy Conservator of Forests,
Parvati Forest Division, She Shamshi.

Respected Sir,

We have deposited the CAPMA Fund for Kasol and Grahan Kasol SHEP as per the generated Challans. The details are as follows:

Project	PIF No.	DD No. & Date	Amount (₹)	Bank Ref No. & Date	Deposited By
Kasol SHEP	5637189803	052880 dated 24-03-2025	96,87,997/-	A979060 dated 27-03-2025	APTSGREEN Power Pvt. Ltd. on behalf of Ms. Beena Butail
Grahan Kasol SHEP	5636856500	052875 dated 24-03-2025	1,01,77,690/-	A979060 dated 27-03-2025	APTSGREEN Power Pvt. Ltd. on behalf of Mr. Dinesh Butail

(T) *Dinesh Butail*
Authorised Sign

Divisional Forest Officer
 Diary No. *193*
 Dated *31/5/2025*
 Parvati Forest Division
 Shimla

Kindly acknowledge the same.

AcH.

31/05/25

05/03/2025 14:57

M/S Narsingh - CAM

19979060 - Chaitany H 2/25

CMS14 - 15070 Arjun



Challan for collection of CAMPA fund
Date : 05-03-2025

Client Code.	CAMS070
Location.	HIMACHAL PRADESH
Remitter Name.	M/S DINESH BUTAIL
PIF/Application No.	5636856500
MoE/ISG File No.	88/HP/01/57/2020/FC
Address.	Butail complex bundla Tea Estate palampur Dist Kangra HP Kangra
Remitter Contact No.	
Email Id.	thakurjendee445@gmail.com
Mobile No.	9816888100
Landline No.	1902-223510
Amount(in Rs)	10177690.-
Beneficiary Branch and Code.	Union Bank Of India FCS Centre, 21/L, III Floor, Jaitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

Amount in Words: One Crore One Lakh Seventy Seven Thousand Six Hundred and Ninety Rupees Only

Depositor Signature (Signature)

Bank Officer (Signature)

Bank's Transaction Number Branch Stamp



Challan for collection of CAMPA fund
Date : 05-03-2025

Client Code.	CAMS070
Location.	HIMACHAL PRADESH
Remitter Name.	M/S DINESH BUTAIL
PIF/Application No.	5636856500
MoE/ISG File No.	88/HP/01/57/2020/FC
Address.	Butail complex bundla Tea Estate palampur Dist Kangra HP Kangra
Remitter Contact No.	
Email Id.	thakurjendee445@gmail.com
Mobile No.	9816888100
Landline No.	1902-223510
Amount(in Rs)	10177690.-
Beneficiary Branch and Code.	Union Bank Of India FCS Centre, 21/L, III Floor, Jaitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

Amount in Words: One Crore One Lakh Seventy Seven Thousand Six Hundred and Ninety Rupees Only

Depositor Signature (Signature)

Bank Officer (Signature)

Bank's Transaction Number Branch Stamp



Challan for collection of CAMPA fund
Date : 05-03-2025


Client Code.	CAMS070
Location.	HIMACHAL PRADESH
Remitter Name.	M/S DINESH BUTAIL
PIF/Application No.	5636856500
MoE/ISG File No.	88/HP/01/57/2020/FC
Address.	Butail complex bundla Tea Estate palampur Dist Kangra HP Kangra
Remitter Contact No.	
Email Id.	thakurjendee445@gmail.com
Mobile No.	9816888100
Landline No.	1902-223510
Amount(in Rs)	10177690.-
Beneficiary Branch and Code.	Union Bank Of India FCS Centre, 21/L, III Floor, Jaitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

Amount in Words: One Crore One Lakh Seventy Seven Thousand Six Hundred and Ninety Rupees Only

Depositor Signature (Signature)

Bank's Transaction Number Branch Stamp

I - ch 814

E-CHALLAN		
Government Of Himachal Pradesh		
Department of Finance	Treasuries, Accounts & Lotteries	
Valid Upto	07-May-2025	Remmitter Copy
HIMGRN	B25E100341	Date 01-05-2025 10:56:46AM
Department	Forest	
BarCode		
Period	01-05-2025 To 01-05-2025	
DDO	KLU00-810- FOREST DIVISION PARBATI SHAMSHI	
Head	₹ Amount	
0406-01-800-18-OTHER MISCELLANEOUS RECEIPT	5317138	
Total/Net Amount	5317138	
In words	Fifty Three Lakh Seventeen Thousand One Hundred Thirty Eight	
Payee Detail		
Licence/Vehicle/Permit/TIN no.		
OTHER MISCELLANEOUS RECEIPTS -Departmental charges on CA & R Plan and Cost of tree in respect of Grahan Kasol SHEP		
Remitter Name:-	DFO Parvati	
Address:-	Parvati Forest Division Shamshi Mob: 9817733330	
FOR USE IN RECEIVING BANK		
Bank CIN No	HIMGRN	B25E100341
Amount	₹ 5317138	
Bank	MANAGER, SBI KULLU	
Cheque-DD-No.		
 <p>State Bank of India Kullu 03 MAY 2025 PURNIMA 1007531 Maker</p>		
NIC-HP	B25E100341	e-Challan (IFMS)



INCOME TAX DEPARTMENT

Challan Receipt



e-Filing *Anywhere Anytime*
Income Tax Department, Government of India

ITNS No. : 281

TAN	: PTLD11641A
Name	: DIVISIONAL FOREST OFFICE
Assessment Year	: 2026-27
Financial Year	: 2025-26
Major Head	: Income Tax (Other than Companies) (0021)
Minor Head	: TDS/TCS Payable by Taxpayer (200)
Nature of Payment	: 6CC
Amount (in Rs.)	: ₹ 1,28,848
Amount (in words)	: Rupees One Lakh Twenty Eight Thousand Eight Hundred Forty Eight Only
CIN	: 25051900020377RBIS
Mode of Payment	: RTGS/NEFT
Bank Name	: RBIS
Bank Reference Number	: 20250519173158523843
Date of Deposit	: 19-May-2025
BSR code	: 6939001
Challan No	: 02534
Tender Date	: 19/05/2025

Tax Breakup Details (Amount In ₹)

A	Tax	₹ 1,28,848
B	Surcharge	₹ 0
C	Cess	₹ 0
D	Interest	₹ 0
E	Penalty	₹ 0
F	Fee under section 234E	₹ 0
Total (A+B+C+D+E+F)		₹ 1,28,848
Total (In Words)		Rupees One Lakh Twenty Eight Thousand Eight Hundred Forty Eight Only

Thanks for being a committed taxpayer!

Please print this challan receipt only if absolutely required. Save Paper, Save Environment.

Congrats! Here's what you have just achieved by choosing to pay online:



Time
Quick and Seamless



Paper
Save Environment



e-Receipt
Easy Access

Proposal Name: Diversion of 1.6201ha Forest land for c/o Grahan-Kasol SHEP 5.00MW
Proposal No.: FP/HP/HYD/36856/2018

Annexure-A (ii)

“UNDERTAKING”

मैं जितेन्द्र ठाकुर, प्रयोक्ता एजेंसी की तरफ से यह शपथ प्रस्तुत करता हूं कि राज्य सरकार माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा WP(C) No. 202/1995 के अंतर्गत दिनांक 08.02.2023 को जारी आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करेगी।

For Grahan Kasol Hydro Project
Signatory Authority 
For Grahan-Kasol SHEP
Authorised Signatory


Deputy Conservator of Forest,
Deputy Conservator of Forests,
Parvati Forest Division, Shamshi.

Proposal Name: Diversion of 1.6201ha Forest land for c/o Grahan-Kasol SHEP 5.00MW
Proposal No.: FP/HP/HYD/36856/2018

Annexure-A (iii)

“UNDERTAKING”

मैं जितेन्द्र ठाकुर, प्रयोक्ता एजेंसी की तरफ से यह शपथ प्रस्तुत करता हूँ कि WP(C) No. 202/1995, IA No. 566 में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 30.10.2002, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली के निर्देश संख्या 5-3/2011-FC (vol.-I) दिनांक 06.01.2022 के अनुसार प्रयोक्ता एजेंसी से प्रस्तावित वन भूमि 1.6201 हेक्टेयर की नेट प्रेजेंट वैल्यू की राशि ₹0 17,32,541 /—कैम्पा अकाउंट युनियन बैंक में दिनांक 25.03.2025 को जमा की गई है। चालान की प्रति संलग्न है।

प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा CA स्कीम के अनुसार प्रतिपूर्ति पौधरोपण की राशि ₹0 10,26,802 /— कैम्पा अकाउंट युनियन बैंक में दिनांक 25.03.2025 को जमा की गई है। इसके अतिरिक्त कैम्पा अकाउंट में Reclamation Plan की राशि 8,53,347 /— तथा Wild Life Management Plan की राशि 65,65,000 /— कुल राशि ₹0 1,01,77,690 /—कैम्पा फण्ड में जमा की गई है। चालान की प्रति संलग्न है

इस के अतिरिक्त पेड़ों की कीमत ₹0 50,03,782 /— तथा departmental charges on CA (Rs. 1,71,134) and R/Plan (Rs.1,42,224) की कुल राशि ₹0 53,17,138 /—सरकारी खजाने में जमा कर दी गई है चालान की प्रति संलग्न है। पेड़ों की कीमत पर लगने वाले आयकर जोकि ₹0 1,28,848 /— है, भी जमा कर दी है, चालान की प्रति संलग्न है।

For Grahan Kasol Hydro Project
 Signatory Authority
 For Grahan-Kasol SHEP
 Authorised Signatory

Deputy Conservator of Forest,
 Deputy Conservator of Forests,
 Parvati Forest Division, Shamshi.

Proposal Name: Diversion of 1.6201ha Forest land for c/o Grahan-Kasol SHEP 5.00MW
Proposal No.: FP/HP/HYD/36856/2018

Annexure-A (iv)

“UNDERTAKING”

मैं जितेन्द्र ठाकुर, प्रयोक्ता एजेंसी की तरफ से यह शपथ प्रस्तुत करता हूँ कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा CA, Reclamation Plan, NPV and Wild Life Management Plan भुगतान की राशि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की बेवसाईट www.parivesh.nic.in पर केवल ऑनलाइन माध्यम से CAMPA Fund में जमा कर दी गई है, चालान की प्रति संलग्न है।

For Grahan Kasol Hydro Project
Signatory Authority
For Grahan-Kasol SHEP
Authorised Signatory


Deputy Conservator of Forests,
Parvati Forest Division at Shamshi

Proposal Name: Diversion of 1.6201ha Forest land for c/o Grahan-Kasol SHEP 5.00MW
Proposal No.: FP/HP/HYD/36856/2018

Annexure-A (v)

“UNDERTAKING”

मैं जितेन्द्र ठाकुर, प्रयोक्ता एजेंसी की तरफ से यह शपथ प्रस्तुत करता हूँ कि **Stage-I** की पूर्ण अनुपालना रिपोर्ट e-portal (<https://parivesh.nic.in/>) में अपलोड की जाएगी।

For Grahan Kasol Hydro Project
Signatory Authority 
For Grahan-Kasol SHEP
Authorised Signatory


Deputy Conservator of Forests,
Parvati Forest Division, Shamshi.


Proposal Name: Diversion of 1.6201ha Forest land for c/o Grahan-Kasol SHEP 5.00MW
Proposal No.: FP/HP/HYD/36856/2018

Annexure-A (vi)

“UNDERTAKING”

मैं जितेन्द्र ठाकुर, प्रयोक्ता एजेंसी की तरफ से यह शपथ प्रस्तुत करता हूं कि प्रयोक्ता एजेंसी यह सुनिश्चित करती है कि प्रतिपूरक शुल्क (सीए लागत, एन पी वी आदि) वेब पोर्टल पर ऑनलाइन उत्पन्न चालान के माध्यम से जमा किए गए हैं और केवल उपयुक्त बैंक में जमा किए गए हैं। अन्य माध्यम से जमा की गई राशि को Stage-I Clearance के अनुपालना के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा।


Deputy Conservator of Forest,
Deputy Conservator of Forests
Parvati Forest Division, Shamshi.

For Grahan-Kasol Hydro Project
Signatory Authority
For Grahan-Kasol SHEP

Authorised Signatory

Proposal Name: Diversion of 1.6201ha Forest land for c/o Grahan-Kasol SHEP 5.00MW
Proposal No.: FP/HP/HYD/36856/2018

Annexure-A (vii)

“UNDERTAKING”

मैं जितेन्द्र ठाकुर, प्रयोक्ता एजेंसी की तरफ से यह शपथ प्रस्तुत करता हूँ कि प्रयोक्ता एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि संभाग में कोई अन्य प्रस्ताव, जिसके लिए Stage-I पहले ही स्वीकृत किया जा चुका है, Stage-I अनुमोदन की शर्तों के अनुपालन के लिए अभी भी लंबित नहीं है। इस आशय का एक वचन पत्र कि “इस मंडल के पास Stage-I अनुमोदन की शर्तों के अनुपालना के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है।” प्रस्तुत है। इस कार्यालय द्वारा इस प्रस्ताव की अंतिम मंजूरी के लिए उसका अनुपालन अनिवार्य होगा।

For Grahan Kasol Hydro Project
Signatory Authority 
For Grahan-Kasol SHEP
Authorised Signatory


Deputy Conservator of Forests,
Parvati Forest Division, Shamshi.

Proposal Name: Diversion of 1.6201ha Forest land for c/o Grahan-Kasol SHEP 5.00MW
Proposal No.: FP/HP/HYD/36856/2018

Annexure-A (viii)

“UNDERTAKING”

I, Jitender Thakur, on behalf of User Agency For Grahan-Kasol SHEP hereby Undertake that No Objection Certificate from the competent authority with reference to the CIA/CCS studies (Impact Assessment) of River Beas and its recommendations shall be obtained by State Government along with any other environment related compliance/ clearance

For Grahan Kasol Hydro Project
Signatory Authority
For Grahan-Kasol SHEP
Jitender Thakur
Authorised Signatory

Jitender Thakur
Deputy Conservator of Forests,
Parvati Forest Division at Shamshi.

Proposal Name: Diversion of 1.6201ha Forest land for c/o Grahan-Kasol SHEP 5.00MW
Proposal No.: FP/HP/HYD/36856/2018

Annexure-A (ix)

“UNDERTAKING”

I, Jitender Thakur, on behalf of User Agency For Grahan-Kasol SHEP hereby Undertake that the proposed SHEP Unit is within the stipulated capacity recommended in the CIA/CCS study. (B)

For Grahan Kasol Hydro Project
Signatory Authority
For Grahan-Kasol SHEP → uclh
Authorised Signatory

Deputy Conservator of Forest,
Deputy Conservator of Forests,
Parvati Forest Division, Shamshi.
Parvati Forest Division at Shamshi.

Proposal Name: Diversion of 1.6201ha Forest land for c/o Grahan-Kasol SHEP 5.00MW
Proposal No.: FP/HP/HYD/36856/2018

Annexure-A (x)

“UNDERTAKING”

मैं जितेन्द्र ठाकुर, प्रयोक्ता एजेंसी की तरफ से यह शपथ प्रस्तुत करता हूँ कि FRA 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बंधित जिला कलेक्टर द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के द्वारा किया जाएगा।


Deputy Conservator of Forests,
Parvati Forest Division, Shamshi.

For Grahan Kasol Hydro Project
Signatory Authority
For Grahan-Kasol SHEP 
Authorised Signatory

Proposal Name: Diversion of 1.6201ha Forest land for c/o Grahan-Kasol SHEP 5.00MW
Proposal No.: FP/HP/HYD/36856/2018

Annexure-B (i)

“UNDERTAKING”

मैं जितेन्द्र ठाकुर, प्रयोक्ता एजेंसी की तरफ से यह शपथ प्रस्तुत करता हूँ कि वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी।

For Grahan Kasol Hydro Project
Signatory Authority *[Signature]*
For Grahan-Kasol SHEP
Authorised Signatory

[Signature]
Deputy Conservator of Forest,
Parvati Forest Division, Shamshi.

Proposal Name: Diversion of 1.6201ha Forest land for c/o Grahan-Kasol SHEP 5.00MW
Proposal No.: FP/HP/HYD/36856/2018

Annexure-B (ii)

“UNDERTAKING”

मैं जितेन्द्र ठाकुर, प्रयोक्ता एजेंसी की तरफ से यह शपथ प्रस्तुत करता हूँ कि काटे जाने वाले बाधक वृक्षों / पौधों की संख्या किसी भी रूप में प्रस्ताव में दर्शायी गई संख्या से अधिक नहीं होगी और वृक्षों की कटाई के दौरान वन्य जीवों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा।

For Grahan Kasol Hydro Project
Signatory Authority 
For Grahan-Kasol SHEP
Authorised Signatory


Deputy Conservator of Forests,
Parvati Forest Division, Shimla.

Proposal Name: Diversion of 1.6201ha Forest land for c/o Grahan-Kasol SHEP 5.00MW
Proposal No.: FP/HP/HYD/36856/2018

Annexure-B (iii)

“UNDERTAKING”

मैं वन मण्डल अधिकारी पार्वती वन मण्डल शमशी यह शपथ प्रस्तुत करता हूँ कि राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित सी0ए0 योजना के अनुसार 3.25 है0 के पौधरोपण का कार्य, Block/Compartment/ Survey No. 53/E/5 of Komigaar, Grahan Beat, Village /Site- Kasol, Kasol Forest Range, Parvati Forest Division, Distt. Kullu Himachal Pradesh पर क्षतिपूर्ति पौधरोपण किया जाएगा और धन उपयोग कर्ता एजेंसी द्वारा प्रदान किया जाएगा। अनुमोदन जारी होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर वृक्षारोपण किया जाएगा। यथासंभव, स्थानीय देशी प्रजाति मिश्रित रूप से रोपित किये जायें एवं किसी भी प्रजाति का monoculture नहीं किया जाएगा।

Deputy Conservator of Forest,
Deputy Conservator of Forests
Parvati Forest Division, Shamshi
Parvati Forest Division at Shamshi.

Proposal Name: Diversion of 1.6201ha Forest land for c/o Grahan-Kasol SHEP 5.00MW

Proposal No.: FP/HP/HYD/36856/2018

Annexure-B (iv)

“UNDERTAKING”

मैं वन मण्डल अधिकारी पार्वती वन मण्डल शमशी यह शपथ प्रस्तुत करता हूँ कि प्रस्तावित CA Land, राज्य वन विभाग के नाम दर्ज है जोकि इस वन मण्डल के approved working Plan के अनुसार Deo Kail Working Circle के अंतर्गत आता है उससे सम्बन्धित दस्तावेज संलग्न है।

Deputy Conservator of Forest,
Deputy Conservator of Forests,
Parvati Forest Division, Shamshi,
Parvati Forest Division at Shamshi.

Appendix-I

1

DIVISIONAL AREA STATEMENT

Related text on Volume-I, Page No. 160,164,185,204

KASOL RANGE

Sr. No.	Name of Forest	Comptt.	Deodar/Kail W.C.				Fir Working Circle				B/L	Improv.	Protection	Total	
			I	II	III	IV	I	II	III	IV					
1	R/1 Pulga	C1	0	0	35.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.04
		C2	0	0	0	0	0	41.04	0	0	0	0	0	0	41.04
	Total		0	0	35.04	0	0	41.04	0	0	0	0	0	76.08	
2	R/2 Duddi-khol	C1a	0	0	0	0	37.76	0	0	0	0	0	0	0	37.76
		C1b	0	0	0	0	0	77.57	0	0	0	0	0	0	77.57
		C2a	0	0	0	0	0	72.09	0	0	0	0	0	0	72.09
		C2b	0	0	0	0	40.0	0	0	0	0	0	0	0	40.00
		Total	0	0	0	0	77.76	149.66	0	0	0	0	0	0	227.42
3	R/4 Kasol	C1a	0	31.63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.63
		C1b	0	20.92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.92
		C1c	0	0	26.96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.96
		C1d	0	0	19.92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.92
		C1e	0	37.72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.72
		C1f	0	0	23.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.1
		C1g	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54.63
			33.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.7	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.00	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.6	
			0	0	0	0	0	0	0	0	16.7	0	0	16.7	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253.33	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.7	
	Total		33.70	90.27	69.98	0	0	0	0	0	42.3	0	392.66	628.91	
4	1/2 Reuni	C1	0	38.85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38.85
		C2	0	64.34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64.34

Deputy Conservator of Forest,
Parvati Forest Division, Sharnashi

Proposal Name: Diversion of 1.6201ha Forest land for c/o Grahan-Kasol SHEP 5.00MW
Proposal No.: FP/HP/HYD/36856/2018

Annexure-B (v)

“UNDERTAKING”

मैं वन मण्डल अधिकारी पार्वती वन मण्डल शमशी यह शपथ प्रस्तुत करता हूँ कि राज्य सरकार वन भूमि को प्रयोक्ता एजेंसी को सौंपने से पहले FSI के ई-ग्रीन वॉच पोर्टल में प्रतिपूरक वन रोपण के लिए स्वीकृत degraded वन क्षेत्र की Kml files को अपलोड करेगी।

Deputy Conservator of Forest,
Deputy Conservator of Forests,
Parvati Forest Division, Shamshi,
Parvati Forest Division at Shamshi.

Proposal Name: Diversion of 1.6201ha Forest land for c/o Grahan-Kasol SHEP 5.00MW
Proposal No.: FP/HP/HYD/36856/2018

Annexure-B (vi)

“UNDERTAKING”

मैं वन मण्डल अधिकारी पार्वती वन मण्डल शमशी यह शपथ प्रस्तुत करता हूँ कि राज्य सरकार वन भूमि को प्रयोक्ता एजेंसी को सौंपने से पहले FSI के ई-ग्रीन वॉच पोर्टल में प्रतिपूरक वन रोपण के लिए स्वीकृत degraded वन क्षेत्र की Kml files को अपलोड करेगी।


Deputy Conservator of Forests,
Parvati Forest Division, Shamshi.

Proposal Name: Diversion of 1.6201ha Forest land for c/o Grahan-Kasol SHEP 5.00MW

Proposal No.: FP/HP/HYD/36856/2018

Annexure-B (vi)

“UNDERTAKING”

मैं जितेन्द्र ठाकुर, प्रयोक्ता एजेंसी की तरफ से यह शपथ प्रस्तुत करता हूँ कि वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा।

For Grahan Kasol Hydro Project
Signatory Authority
For Grahan-Kasol SHEP
Authorised Signatory

Deputy Conservator of Forest,
Parvati Forest Division, Shimshi.

Proposal Name: Diversion of 1.6201ha Forest land for c/o Grahan-Kasol SHEP 5.00MW
Proposal No.: FP/HP/HYD/36856/2018

Annexure-B (vii)

“UNDERTAKING”

मैं जितेन्द्र ठाकुर, प्रयोक्ता एजेंसी की तरफ से यह शपथ प्रस्तुत करता हूँ कि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार, जब कभी भी NPV की राशि बढ़ाई जाएगी तो उस बढ़ी हुई NPV की राशि को जमा करने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी बाध्य होगी और राज्य सरकार बढ़ी हुई NPV राशि जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।

For Grahan Kasol Hydro Project
Signatory Authority
For Grahan-Kasol SHEP → *uch*
Authorised Signatory

→
Deputy Conservator of Forests,
Parvati Forest Division, Shimshahi.

Proposal Name: Diversion of 1.6201ha Forest land for c/o Grahan-Kasol SHEP 5.00MW
Proposal No.: FP/HP/HYD/36856/2018

Annexure-B (viii)

“UNDERTAKING”

I Jitender Thakur, For Grahan Kasol SHEP, hereby undertakes that cost of Wild life management Plan (approved) has been deposited into the CAMPA account in Union Bank on dated 25-03-2025. Copy of Challan is enclosed. Hence case is submitted to the MoEF&CC for the purpose of obtaining Final approval under the para-1.22(ii) of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980.

For Grahan Kasol Hydro Project
Signatory Authority 
For Grahan-Kasol SHEP
Authorised Signatory


Deputy Conservator of Forests,
Parvati Forest Division, Shimla.

Proposal Name: Diversion of 1.6201ha Forest land for c/o Grahan-Kasol SHEP 5.00MW

Proposal No.: FP/HP/HYD/36856/2018

Annexure-B (ix)

“UNDERTAKING”

मैं जितेन्द्र ठाकुर, प्रयोक्ता एजेंसी की तरफ से यह शपथ प्रस्तुत करता हूँ कि एवेन्यू वृक्षारोपण, सडक के दोनों ओर मध्य भाग पर आई आर सी विनिर्देश के अनुसार उपयोग कर्ता एजेंसी, द्वारा किया जाएगा।

For Grahan Kasol Hydro Project
Signatory Authority 
For Grahan-Kasol SHEP
Authorised Signatory


Deputy Conservator of Forest,
Parvati Forest Division, Shamshi.

Proposal Name: Diversion of 1.6201ha Forest land for c/o Grahan-Kasol SHEP 5.00MW
Proposal No.: FP/HP/HYD/36856/2018

Annexure-B (x)

“UNDERTAKING”

मैं जितेन्द्र ठाकुर, प्रयोक्ता एजेंसी की तरफ से यह शपथ प्रस्तुत करता हूँ कि स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेंसी, विभागीय व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं किया जाएगा।

For Grahan Kasol Hydro Project
Signatory Authority
For Grahan-Kasol SHEP *unch*
Authorised Signatory

[Signature]
Deputy Conservator of Forest,
Deputy Conservator of Forests,
Parvati Forest Division, Shimshahi,
Parvati Forest Division at Shanishi.

Proposal Name: Diversion of 1.6201ha Forest land for c/o Grahan-Kasol SHEP 5.00MW
Proposal No.: FP/HP/HYD/36856/2018

Annexure-B (xi)

“UNDERTAKING”

मैं जितेन्द्र ठाकुर, प्रयोक्ता एजेंसी की तरफ से यह शपथ प्रस्तुत करता हूँ कि केंद्रीय सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव की ले-आउट प्लान को बदला नहीं जाएगा।

For Grahan Kasol Hydro Project
Signatory Authority

For Grahan-Kasol SHEP

Authorised Signatory


Deputy Conservator of Forest,
Parvati Forest Division, Shamshi.

Proposal Name: Diversion of 1.6201ha Forest land for c/o Grahan-Kasol SHEP 5.00MW
Proposal No.: FP/HP/HYD/36856/2018

Annexure-B (xii)

“UNDERTAKING”

मैं जितेन्द्र ठाकुर, प्रयोक्ता एजेंसी की तरफ से यह शपथ प्रस्तुत करता हूँ कि वन भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई श्रामिक शिविर नहीं लगाया जायेगा।

For Grahan Kasol Hydro Project
Signatory Authority
For Grahan-Kasol SHEP
Authorised Signatory

Deputy Conservator of Forest,
Deputy Conservator of Forests,
Parvati Forest Division, Shimshi,
Parvati Forest Division at Shimshi.

Proposal Name: Diversion of 1.6201ha Forest land for c/o Grahan-Kasol SHEP 5.00MW

Proposal No.: FP/HP/HYD/36856/2018

Annexure-B (xiii)

“UNDERTAKING”

मैं जितेन्द्र ठाकुर, प्रयोक्ता एजेंसी की तरफ से यह शपथ प्रस्तुत करता हूँ कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वांछित भूमि संरक्षण पैमाने उपयोग किये जायेंगे, जिसके लिए प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वर्तमान दरों पर धन राशि उपलब्ध करायी जाएगी।

For Grahan Kasol Hydro Project
Signatory Authority
For Grahan-Kasol SHEP
Authorised Signatory


Deputy Conservator of Forests,
Parvati Forest Division at Shamshi.

Proposal Name: Diversion of 1.6201ha Forest land for c/o Grahan-Kasol SHEP 5.00MW
Proposal No.: FP/HP/HYD/36856/2018

Annexure-B (xiv)

“UNDERTAKING”

मैं जितेन्द्र ठाकुर, प्रयोक्ता एजेंसी की तरफ से यह शपथ प्रस्तुत करता हूँ कि परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया पथ नहीं बनाया जाएगा।

For Grahan Kasol Hydro Project
Signatory Authority
For Grahan-Kasol SHEP
Authorised Signatory


Deputy Conservator of Forest,
Deputy Conservator of Forests,
Parvati Forest Division, Shamshi
Parvati Forest Division at Shamshi.

Proposal Name: Diversion of 1.6201ha Forest land for c/o Grahan-Kasol SHEP 5.00MW
Proposal No.: FP/HP/HYD/36856/2018

Annexure-B (xv)

“UNDERTAKING”

मैं जितेन्द्र ठाकुर, प्रयोक्ता एजेंसी की तरफ से यह शपथ प्रस्तुत करता हूँ कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा श्रमिकों तथा कार्य स्थल पर कार्यरत स्टाफ को अधिमानतः वैकल्पिक ईंधन उपलब्ध कराएगी, ताकि साथ लगते वन क्षेत्र को किसी प्रकार के नुकसान तथा दबाव से बचाया जा सके।


Deputy Conservator of Forest,
Deputy Conservator of Forests,
Parvati Forest Division, Shimla
Parvati Forest Division at Shamshi.

For Grahan Kasol Hydro Project
Signatory Authority
For Grahan-Kasol SHEP 
Authorised Signatory

Proposal Name: Diversion of 1.6201ha Forest land for c/o Grahan-Kasol SHEP 5.00MW
Proposal No.: FP/HP/HYD/36856/2018

Annexure-B (xvi)

“UNDERTAKING”

मैं जितेन्द्र ठाकुर, प्रयोक्ता एजेंसी की तरफ से यह शपथ प्रस्तुत करता हूँ कि प्रयोक्ता एजेंसी राज्य कि मुख्य वन्य जीव संरक्षक द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार उस क्षेत्र के वनस्पति और प्राणी समूह के संरक्षण तथा परिरक्षण में राज्य सरकार की सहायता करेगी।

For Grahan Kasol Hydro Project
Signatory Authority *→ nch*
For Grahan-Kasol SHEP
Authorised Signatory

→
Deputy Conservator of Forests,
Parvati Forest Division, Shimla.
Parvati Forest Division at Shimla.

Proposal Name: Diversion of 1.6201ha Forest land for c/o Grahan-Kasol SHEP 5.00MW

Proposal No.: FP/HP/HYD/36856/2018

Annexure-B (xvii)

“UNDERTAKING”

मैं जितेन्द्र ठाकुर, प्रयोक्ता एजेंसी की तरफ से यह शपथ प्रस्तुत करता हूँ कि स्थान्तरित वन भूमि की सीमाएं आगे तथा पीछे लिखे गये क्रम संख्या वाले चार फीट ऊंचे सीमेंट के खम्भों द्वारा चिन्हित की जाएगी।

For Grahan Kasol Hydro Project
Signatory Authority
For Grahan-Kasol SHEP
Authorised Signatory

Deputy Conservator of Forest,
Deputy Conservator of Forests,
Parvati Forest Division, Shamshi.
Parvati Forest Division at Shamshi.

Proposal Name: Diversion of 1.6201ha Forest land for c/o Grahan-Kasol SHEP 5.00MW
Proposal No.: FP/HP/HYD/36856/2018

Annexure-B (xviii)

“UNDERTAKING”

मैं जितेन्द्र ठाकुर, प्रयोक्ता एजेंसी की तरफ से यह शपथ प्रस्तुत करता हूँ कि प्रयोक्ता एजेंसी CWLW /NBWL/FAC/REC की सिफारिशों के अनुसार संरक्षित क्षेत्र/ वन क्षेत्र में उपयुक्त under/ over pass उपलब्ध करायेगी।

For Grahan Kasol Hydro Project
Signatory Authority
For Grahan-Kasol SHEP
Authorised Signatory

Deputy Conservator of Forests,
Parvati Forest Division at Shamshi.

Proposal Name: Diversion of 1.6201ha Forest land for c/o Grahan-Kasol SHEP 5.00MW
Proposal No.: FP/HP/HYD/36856/2018

Annexure-B (xix)

“UNDERTAKING”

मैं जितेन्द्र ठाकुर, प्रयोक्ता एजेंसी की तरफ से यह शपथ प्रस्तुत करता हूँ कि यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता एजेंसी पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, के अनुसार पर्यावरण अनुमति प्राप्त करेगी।

For Grahan Kasol Hydro Project
Signatory Authority
For Grahan-Kasol SHEP → dr
Authorised Signatory


Deputy Conservator of Forest,
Deputy Conservator of Forests,
Parvati Forest Division, Shamshi.
Parvati Forest Division at Shamshi.

Proposal Name: Diversion of 1.6201ha Forest land for c/o Grahan-Kasol SHEP 5.00MW
Proposal No.: FP/HP/HYD/36856/2018

Annexure-B (xx)

“UNDERTAKING”

We, on behalf of The State Govt/ User Agency hereby undertakes to ensure edherance of stipulated e-flow as recommended by Govt. of HP, Hon’ble NGT, MoEF& CC, GoI and any other regulatory authority for the conservation and development of the aquatic flora and fauna.

For Grahan Kasol Hydro Project
Signatory Authority 
For Grahan-Kasol SHEP
Authorised Signatory


Deputy Conservator of Forest,
Deputy Conservator of Forests,
Parvati Forest Division, Shamshi
Parvati Forest Division at Shamshi.

Proposal Name: Diversion of 1.6201ha Forest land for c/o Grahan-Kasol SHEP 5.00MW
Proposal No.: FP/HP/HYD/36856/2018

Annexure-B (xxi)

“UNDERTAKING”

I Jitender Thakur, For Grahan Kasol SHEP, hereby undertake that any other condition, that the concerned Regional Office of this Ministry may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of Forest and Wild Life and User Agency/State Govt. may ensure compliance to provision of all Acts, Rules, regulation and guidelines, for the time being in force, as applicable to the project.

For Grahan Kasol Hydro Project
Signatory Authority *Jitender Thakur*
For Grahan-Kasol SHEP
Authorised Signatory

Jitender Thakur
Deputy Conservator of Forest,
Deputy Conservator of Forests,
Parvati Forest Division, Shamshi
Parvati Forest Division at Shamshi.

Proposal Name: Diversion of 1.6201ha Forest land for c/o Grahan-Kasol SHEP 5.00MW
Proposal No.: FP/HP/HYD/36856/2018

Annexure-B (xxii)

“UNDERTAKING”

I Jitender Thakur, For Grahan Kasol SHEP, hereby undertake that State Govt. shall ensure that the User Agency shall comply the provisions of all Rules, Regulations and guidelines issued for lying transmission line in Forest Areas for the time being in force, as applicable to the project.

For Grahan Kasol Hydro Project
Signatory Authority → n ch
For Grahan-Kasol SHEP
Authorised Signatory

Deputy Conservator of Forest,
Deputy Conservator of Forests,
Parvati Forest Division, Shamshi
Parvati Forest Division at Shamshi.

Proposal Name: Diversion of 1.6201ha Forest land for c/o Grahan-Kasol SHEP 5.00MW
Proposal No.: FP/HP/HYD/36856/2018

Annexure-B (xxiii)

“UNDERTAKING”

I Jitender Thakur, For Grahan Kasol SHEP, hereby undertake that The User Agency shall submit the annual self-compliance report in respect of the above condition to the State Govt. and to the Concerned Regional Office of the Ministry, regularly.

For Grahan Kasol Hydro Project
Signatory Authority *JT*
For Grahan-Kasol SHEP
Authorised Signatory


JT
Deputy Conservator of Forest.
Deputy Conservator of Forests,
Parvati Forest Division, Shamshi.
Parvati Forest Division at Shamshi.

Proposal Name: Diversion of 1.6201ha Forest land for c/o Grahan-Kasol SHEP 5.00MW
Proposal No.: FP/HP/HYD/36856/2018

Annexure-B (xxiv)

“UNDERTAKING”

मैं जितेन्द्र ठाकुर, प्रयोक्ता एजेंसी की तरफ से यह शपथ प्रस्तुत करता हूं कि परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलबे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा केवल परियोजना स्थल पर ही किया जाएगा तथा इसके अलावा अन्यत्र मलबा नहीं फेंका जाएगा। मलबा निस्तारण क्षेत्र स्थल पर दर्शाए गए वृक्षों का पतन नहीं किया जाएगा।

For Grahan Kasol Hydro Project
Signatory Authority 
For Grahan-Kasol SHEP
Authorised Signatory


Deputy Conservator of Forest,
Deputy Conservator of Forests,
Parvati Forest Division, Shamshi.

Proposal Name: Diversion of 1.6201ha Forest land for c/o Grahan-Kasol SHEP 5.00MW
Proposal No.: FP/HP/HYD/36856/2018

Annexure-B (xxv)

“UNDERTAKING”

मैं जितेन्द्र ठाकुर, प्रयोक्ता एजेंसी की तरफ से यह शपथ प्रस्तुत करता हूँ कि इस प्रस्ताव को 99 वर्षों के लिए अनुमति प्रदान की जाएगी, इस के उपरान्त पुनः यह अनुमति भारत सरकार से प्राप्त करनी होगी। इस अनुमोदन के तहत diversion की अवधि प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में दी जाने वाली लीज की अवधि या परियोजना की अवधि, जो भी कम हो, के सह –समाप्ति होगी।

For Grahan Kasol Hydro Project
Signatory Authority
For Grahan-Kasol SHEP
Authorised Signatory


Deputy Conservator of Forest,
Deputy Conservator of Forests,
Parvati Forest Division, Oshamshi,
Parvati Forest Division at Shamshi.

Proposal Name: Diversion of 1.6201ha Forest land for c/o Grahan-Kasol SHEP 5.00MW
Proposal No.: FP/HP/HYD/36856/2018

Annexure-B (xxvi)

“UNDERTAKING”

मैं जितेन्द्र ठाकुर, प्रयोक्ता एजेंसी की तरफ से यह शपथ प्रस्तुत करता हूँ कि अन्य कोई भी शर्त इस कार्यालय द्वारा वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास हेतु समय समय पर लगाई जा सकती है।

For Grahan Kasol Hydro Project
Signatory Authority 
For Grahan-Kasol SHEP
Authorised Signatory


Deputy Conservator of Forest,
Deputy Conservator of Forests,
Parvati Forest Division, Shamshi
Parvati Forest Division at Shamshi.

Proposal Name: Diversion of 1.6201ha Forest land for c/o Grahan-Kasol SHEP 5.00MW
Proposal No.: FP/HP/HYD/36856/2018

Annexure-B (xxvii)

“UNDERTAKING”

हम, राज्य सरकार व प्रयोक्ता एजेंसी की तरफ से यह शपथ प्रस्तुत करता हूं कि यदि कोई अन्य संबन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/ नियम/ न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके आधीन अनुमति लेना राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी।

For Grahan Kasol Hydro Project
Signatory Authority
For Grahan-Kasol SHEP
Authorised Signatory


Deputy Conservator of Forest,
Deputy Conservator of Forests,
Parvati Forest Division, Shamshi.
Parvati Forest Division at Shamshi.

Proposal Name: Diversion of 1.6201ha Forest land for c/o Grahan-Kasol SHEP 5.00MW
Proposal No.: FP/HP/HYD/36856/2018

Annexure-B (xxviii)

“UNDERTAKING”

हम, राज्य सरकार व प्रयोक्ता एजेंसी की तरफ से यह शपथ प्रस्तुत करते हैं कि इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम 1980 का उल्लंघन होगा तथा पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम 1980 और वन संरक्षण एवं संवर्धन नियम 2023 के बारे में जारी consolidated guidelines में उल्लेखित दिशा निर्देश 1.16 के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

For Grahan Kasol Hydro Project
Signatory Authority 
For Grahan-Kasol SHEP
Authorised Signatory


Deputy Conservator of Forest,
Deputy Conservator of Forests,
Parvati Forest Division, Shamshi
Parvati Forest Division at Shamshi.